08.02.2019

आवेदक द्वारा श्री जी डी गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदकगण द्वारा श्री ऋषि यादव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 13 नियम 09 सहपठित धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निराकरण हेतु नियत है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन आवेदन अंतर्गत आदेश 13 नियम 09 सिविल प्रक्रिया संहिता संक्षेप में यह है कि आवेदक की ओर से व्यवहार वाद क. 81–अ/14 मदन लाल विरुद्ध गुलाब सिंह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निर्णय दिनांक–04.12.2018 को घोषित किया गया था।

आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि वादी द्व ारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित नहीं हुए हैं और न ही किसी पक्ष की गवाही प्रारंभ हुई है, वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में उक्त प्रकरण में भू–अधिकार अभिलेख एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक 700274 की असल बही प्रस्तुत की गई है एवं विक्रय पत्र दिनांक 25.03. 1963, विक्रय पत्र दिनांक19.12.58, वर्ष 1970 से 1974–75 पांच शाला खसरा, वर्ष 1964–65 से 1967–68 का खसरा, वर्ष 1954–55 से 1958–59 का खसरा, खसरा नंबर 152/2 एवं 181 की बी–1 किश्तबंदी वर्ष 2008 का खसरा नंबर 152/2 एवं 181का नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है, जिन्हें वादी ले कर नये दावे में पेश करना चाहता है अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेज वादी को वापिस किये जाने का निवेदन किया गया है।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे दिर्शत होता है उक्त व्यवहार वाद में मात्र भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक डी 700274 मूलतः संलग्न है, जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है शेष दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं, जो वादी स्वयं संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त ऋण पुस्तिका की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त कर ''मूल'' भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका आवेदक को वापिस लोटाई जावे व शेष दस्तावेजों के संबंध में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

विविध कार्यवाही समाप्त की जाती है।

विविध कार्यवाही का परिणाम निर्धारित पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाये।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
Digitally signed by ASHOK KUMAR TRIPATHI
Date: 2019.02.08 18:03:23 +05'30'